

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... एम.डी. अल-कुरान एंव S.O. मुकाम... बायत

..... मुम्बाराय बनाम गिरधारीराम कौर

किस्म मुकदमा... वा.क्र. 111,120 PURA नं. 19/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>मुन्नाय</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,120 PURA</u> राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।	
25/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगिनों के नोटिस तामिल क्रम तामिल प्राप्त। मीमाय पी.व.सी. अधिकांती डिग्न क्रम में प्राप्त होने से मित्राल इल्लव चौडर आगामी दिनांक 28/05/19 को पैका टी।	
28/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगिनों के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे आमिल पत्रावली हीया गया। विप्रार्थीगिनों का कजुड तामिल क्रम उपस्थित। न्यायालय समम लीन काट कावल लगाई गई, इल्लम कावल 5-45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगिनों स्वयं या उनकी मात से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ मिशजा उनसे विलड एडवा.पत्र। कार्यवाही क्रम में लार्ड जारी है। इल्ल. वास्ते वह पत्रावली दिनांक 18/06/19 को पैका टी।	

18/06/19

प्राथी वडील उपस्थित। विप्राथीय वारड
लाल अनुपस्थित। प्राथी के अधिकता की
एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्राथी के अधिकता ने
बलाया की प्राथी को अपने खातेदारी खेती के
चारा और पक्के नैष्य स्थापित इवाना का-
वगैरे हैं इसलिए प्राथी का नैष्यबन्दी भावेदन
स्वीकार किया जाकर नैष्यबन्दी को रद्द किया जावे।

अतः प्राथी अधिकता के निवेदन
पर प्राथी का नैष्यबन्दी भावेदन स्वीकार किया
जाकर लक्ष्मीदेव गिरा को इमिशन निरुक्त
किया जाय है व को रद्द किया जाय है कि आप
स्वयं या अपने अधिनस्थ कमी भी अंशमिल्य
निरिक्षक के प्राथी के खातेदारी खेती की पक्की नैष्य-
बन्दी को रद्द कर इमिशन शुद्ध जमा इतर इतें पालना
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली टी, पत्रावली
जैसल कुमार टी, दर्ज नम्बर से इम टी, दायित्व
दायित्व हो कर।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/..... 326

दिनांक:- 18/06/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लुम्बाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. गिरधारीराम पुत्र विशनाराम वगैरा 13 जाति जाट निवासी मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 19/19

आदेश

मौजा ग्राम मानपुरा खारडा पटवार हल्का गिडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 214, 221 व 222 रकबा 00-15, 00-10 व 112-00 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अपेक्षित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

दिनांक :- 18/06/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी लुम्बाराम पुत्र लाधाराम
4. विप्रार्थीगण गिरधारीराम पुत्र विशनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिडा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर